भाग –III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

निर्देश

दिनांक 12 मार्च, 2019

संख्या का०आ० 22/के०अ० 29/1986/धारा 5/2019.— चूंकि, भारत के संविधान के अनुछेद 48 क में अन्य बातों के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा जन साधारण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा पर विचार करता है राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के जन साधारण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगाः,

और चूंकि , पतंग उड़ाने के दौरान ''चीनी धागे/मांझा'' के नाम से प्रसिद्ध या शीशे/धातु के घटकों से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की सिंथेटिक सामग्री से निर्मित धागे के इस्तेमाल के कारण जन साधारण तथा पक्षियों को काफी चोटें लगती हैं । ये चोटें कई बार प्राण घातक सिद्ध होती हैं जिससे जन–साधारण तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है । इसलिए, जन साधारण तथा पक्षियों को ''चीनी धागे/मांझा'' के नाम से प्रसिद्ध या शीशे/धातु के घटको से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की अन्य सिंथेटिक सामग्री से निर्मित पतंग उड़ाने वाले धागे के प्राणघातक दुष्प्रभाव से बचाना वाछंनीय है।

और चूंकि, पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्यथा से आसमान में अनेक पतंगे कट जाती है । पतंग सहित ये सभी कटे हुए धागे जमीन पर पड़े रहते हैं । प्लास्टिक सामग्री की अत्यधिक दीर्घ आयु तथा स्वरूप में गैर–विघटनशील होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त कथित धागे चिंता का विषय है।

और चूंकि, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों, जो गैर विघटनशील है, के व्यापक उपयोग से बिजली का प्रवाह अक्सर लाईनों और सब स्टेशनों पर फ्लैश ओवर में बदलता रहता है, जिस कारण उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई में रूकावट हो सकती है, इलेक्ट्रोनिक सम्पतियों को हानि और क्षति पंहुच सकती है जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जीवन की क्षति और हानि हो सकती है।

और चूंकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रातः छह बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं तथा यह उन गिद्धो सहित पक्षियों कर रक्षा करने के लिए वांछनीय है जो दिनों–दिन लुप्त होते जा रहे हैं और जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप वर्गीकृत किये गये हैं, और उन्हें इस प्रकार के घातक पतंग उड़ाने वाले धागे/मांझे से बचाने की आवश्यता हैः,

इसलिए, अब भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (पर्यावरण वन तथा वन्यजीव विभाग), अधिसूचना संख्या का० आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपबंधो के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित निर्देशों को जारी करने का प्रस्ताव करते है, और उक्त नियम के नियम 4 के उपनियम (3) के खंड (क), के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होन की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन निर्देशों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर/या उसके पश्चात्, सरकार निर्देशों के प्रारूप पर ऐसे आपेक्षों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण तथा जलवायु परिर्वतन विभाग द्वारा निर्देशो के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाए, विचार करेगी।

निर्देश प्रारूप

1. नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे, इसमें 'चीनी मांझाा' नाम से प्रसिद्ध तथा कोई अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे, भी शामिल है, जो तीखा है या उसे शीशे, धातु या किसी तीखी सामग्री की किनारी लगाकर इस प्रकार तीखा बनाया गया है, की हरियाणा राज्य में बिक्री उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, आयात तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा ।

2. किसी तीखी/धात्वीक/शीशे के घटकों/चिपचिपी/धागे को मजबुत बनाने वाली सामग्रीयों से मुक्त, केवल सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की अनुमति होगी ।

प्राधिकृत अधिकारी

निम्नलिखित अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपनी अधिकारिता के भीतर इस अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:–

1. राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, के सभी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पदवी से नीचे के ना हों ।
2. वन्य प्राणी विभाग, के सभी अधिकारी जो वन्य प्राणी के निरीक्षक की पदवी से नीचे के ना हों ।
3. हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे के ना हों ।

4. हरियाणा की नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, नगर अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता तथा सफाई निरक्षिक।

निगरानी

भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 394 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और उप मंडलीय मजिस्ट्रेट अपने–अपने क्षेत्र/अधिकारिता के भीतर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 19 के अधीन शिकायत दायर करेगें ।

उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, के नायब तहसीलदारों तथा उससे उच्च पद के अधिकारियों, हरियाणा पुलिस के उप–निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, हरियाणा की नगर समितियों में सफाई निरीक्षकों, समान्य अनुज्ञप्ति निरीक्षकों तथा जन स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगें। सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, वन्य प्राणी विभाग के वन्य प्राणी निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें । उपमंडलीय मजिस्ट्रेट तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड संकलन के बाद मासिक रिपोर्ट अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, को प्रस्तुत करेगा।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Notification

The 12th March, 2019

No. S.O.-22/C.A.29/1986/Const. 5/2019.— WHEREAS, article 48-A of the Constitution of India, inter-alia envisages protection and improvement of environment and safeguarding of people, forests and wild life. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the people, forests and wildlife of the country;

AND WHEREAS, during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of use of thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/ manja" or any other thread coated with glass/metallic components. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds. It is, therefore, desirable to protest the people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/manja" or any other thread coated with glass/metallic components;

AND WHEREAS, during kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise. All these cut threads long with the kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic materials and being non-biodegradable in nature, these threads become a cause of concern from environment point of view;

AND WHEREAS, extensive use of such kite flying thread which are non biodegradable, conductors of electricity often result in flash-over on the power lines and sub-stations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life;

AND WHEREAS, it is also a will known fact that the activity of the birds is at peak during 6:00AM to 8:00AM in morning and from 5:00PM to 7:00PM in evening and it is desirable to protect the birds including the vultures which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species, and there is a need to protect them from such fatal kite flying thread/manja;

NOW, THERE FORE, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) read with the Government of India, Ministry of Environment and Forest (Department of Environment, Forest and Wildlife), Notification No. S.O. 152(E), dated the 10th February, 1988 and in pursuance of the provision of Section 7 of the said Act and rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Governor of Haryana hereby proposed to issue the following directions and published as required under sub-rule (3-a) of the Rule 4 of the said rules, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following proposed directions which shall be taken into consideration or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification along with objections/suggestions, if any, which may be received in the office of the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Environment and Climate Change Department from any person with respect to the proposed directions.

Directions Draft

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply import, and use of kite flying thread made out of the nylon, plastic or any other synthetic material including popularly known as "Chinese Manja" and any other kite-flying thread that is sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials in the State of Haryana.

2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/metallic/glass components adhesives/thread strengthening materials.

Authorized Officers:

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction as per guidelines issued by State Government, namely:-

1. All the officers of the Revenue and Disaster Management Department not below the rank Naib Tehsildars;
2. All the officers of the Forest Department not below the rank of Wildlife Inspectors;
3. All the officers of the Haryana Police not below the rank Sub-Inspectors;
4. Executive Officer, Secretary, Municipal Engineer, Junior Engineer and Sanitary Inspectors of the Municipal Committees;

Monitoring:

As mentioned in the Notification No.S.O.394 (E), dated 16th April, 1987 issued by the Government of India, Ministry of Environment and Forests Department, the Chairman and Member Secretary, Haryana State pollution Control Board and the Sub-Divisional Magistrates of the respective area/jurisdiction are authorized to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

THE SUBN-DIVISIONAL MAGISTRATES shall take action on the basis of the report submitted by Naib Tehsildars and above of Revenue Department, Sub-Inspectors and above of Haryana Police and Sanitary Inspectors, General Licensing Inspectors and Public Health Inspectors of the Municipal Committees of Haryana.

Member Secretary, Haryana State Pollution Control board shall initiate action on the basis of the report submitted by the Wildlife Inspectors and above of the Forest Department. Sub-Divisional Magistrates and Member Secretary, Haryana State Pollution Control Board shall submit monthly report to Chairman, Haryana State pollution Control Board after compilation.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.

56949—L.R.—H.G.P., Chd.